न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना झालावाड़ (राज0)

पीठासीन अधिकारीः पुष्कर कुमार मितल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 01/प्रार्थना पत्र/2015

उनवान

शिवनारायण उपाध्याय पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 83 वर्ष निवासी ग्राम झिरी, पोस्ट बांसखेड़ी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़, राजस्थान

बनाम

01. किशनलाल पुत्र हीरा लोधा
02. परमानन्द, बद्री, गोपाल पि0 ओंकारलाल जाति लोधा
03. मांगीबाई पत्नी परमानन्द जाति लोधा
04. मथुरालाल पुत्र घीसा जाति लोधा
05. राधाकिशन पुत्र भंवरलाल जाति लोधा
06. हीरालाल पुत्र बद्रीलाल
07. शंकरलाल, लालचंन्द पि0 पन्नालाल जाति लोधा
08. गोमदा पुत्र जैलाल जाति लोधा
09. दुलीचन्द पुत्र अमरा जाति लोधा
10. मांगीलाल पुत्र श्रीलाल जाति लोधा
11. बीरम, शांति पि0 कालू लोधा
12. पप्पूलाल, नन्दलाल पि0 भंवरलाल जाति नाई
13. कल्याणी पुत्री धूल्या
14. घीसी, भगवती पुत्री पन्नालाल रीछड़ी सभी निवासीगण झिरी पंचायत मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़
15. धापूबाई पुत्री पन्नालाल रूपाहेड़ा
16. भंवरीबाई पुत्री औंकारलाल बटावदा
17. भूली पुत्री औंकार टोडरा
18. मंगलीबाई पत्नी औंकार झिरी

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

19. शांतिबाई पत्नी कालू हिम्मतगढ़

20. भंवरी, भूली, लीला पुत्रियां औंकार लोधा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की उपधारा (2) के तहत रास्ता चाहने बाबत।

उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल अभिभाषक प्रार्थी।

श्री कैलाशचन्द अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 12

निर्णय

दिनांकः 06.05.2026

01. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री शिवनारायण उपाध्याय पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 83 वर्ष निवासी ग्राम झिरी, पोस्ट बांसखेड़ी वाया मनोहरथाना जिला झालावाड़, राजस्थान द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की उपधारा (2) के तहत अपनी आराजी ख0 नं0 475 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा व ख0 नं0 468 रकबा 01 बीघा व 07 बिस्वा पर अप्रार्थीगण की विभिन्न खसरा नम्बरान की आराजी से होकर जाने हेतु रास्ता चाहने बाबत प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झिरी पटवार मण्डल मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ की आराजी ख0 नं0 475 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा व ख0 नं0 468 रकबा 01 बीघा व 07 बिस्वा जो कि प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2065 अनुसार प्रार्थी के स्वामित्व की है पर सड़क ग्राम झिरी से निकला पारम्परिक मार्ग जो कि हरिपुरा को जाता है जहां रास्ता चाहिए जिसकी ख0 नम्बरान सहित नकल नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न है, खसरा गिरदावरी संवत 2070 ग्राम झिरी के अनुरूप निम्नानुसार है ख0 नं0 424 किशनलाल, बरजी पि0 हीरा जाति लोधा , ख0 नं0 425 किशनलाल पुत्र हीरा जाति लोधा, ख0 नं0 426, 427 परमानन्द, बदरी, गोपाल पि0 औंकारलाल वगै, बीरम पुत्र कालूलाल वगै0 ख0 नं0 448 मांगीबाई पत्नी परमानन्द जाति लोधा, ख0 न0 453 मथरालाल पुत्र घीसा जाति लोधा, ख0 नं0 455 राधाकिशन पि0 भंवरलाल हि0 3/4 व कल्याणी पुत्री धूल्या हि0 1/4 जाति लोधा, ख0 न0 456, 457 हजारी नवासा दोली, हीरालाल पुत्र बद्रीलाल वगै0, ख0 न0 458 शंकरलाल, लालचन्द, घीसीबाई, धापूबाई, भगवंतीबाई पि0 पन्नालाल, ख0 नं0 459 गोमदा पुत्र जैलाल जाति लोधा, ख0 न0 460 मांगीबाई पत्नी परमानन्द जाति लोधा, ख0 नं0 461 दूलीचन्द पुत्र अमरा वगै0, मांगीलाल पुत्र श्रीलाल, ख0 नं0 463 किशनलाल पुत्र हीरा, ख0 नं0 464 परमानन्द, बदरी, गोपाल, भवरी, भूली, लीला पि0 ओंकारलाल, भगलीबाई बैवा औंकारलाल, बीरम, शान्तीबाई पि0 कालूलाल शेष जमाबंदी अनुसार, ख0 नं0 465 व 466 पप्पूलाल, नन्दलाल पि0 भवरिया वगै0 जाति नाई

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

के स्वामित्व की है से होकर जाता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता दिलवाये जाने बाबत निवेदन किया है।

02. प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण शंकरलाल, राधाकिशन, परमानन्द, बद्रीलाल, गोपाल, भंवरबाई, बीरमचन्द, मथुरालाल, कल्याणप्रसाद व दयाराम उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण नन्दलाल व पप्पू की ओर से वकील श्री कैलाशचन्द द्वारा वकालतनाम पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में बाद तामील अनुपस्थित रहे है जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार तहसील मनोहरथाना से रिपोर्ट तलब की गईं।

03. पत्रावली में बयान रूबरू इजलास दिनांक 5.08.2015 लिए गए जो कि पत्रावली पर अंकित है के अनुसार निम्न तालिका में वर्णित अप्रार्थीगण के हल्फिया बयान दर्ज है :

क्र0 संख्या	अप्रार्थी	खसरा मय रकबा	भूमि क्षेत्रफल
01	किशनलाल पुत्र हीरा जाति लोधा निवासी झिरी	424 रकबा0.05, 463 रकबा 2.07	1450 वर्गफिट 1250 वफि0 कुल 2700 वफि0
02	दूलीचन्द पुत्र अमरलाल	461 रकबा 2.05	1300 वर्गफिट
03	शंकरलाल पुत्र पन्नालाल	423 रकबा 0.05 458 रकबा 0.14	320 वर्गफिट 220 वफि0 कुल 540 वर्गफिट
04	कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल जाति लोधा निवासी झिरी	456 रकबा ... 457 रकबा...	975 वर्गफिट 310 वफि0कुल 1285 वर्गफिट
05	गोमदा पुत्र जैलाल	423/816 रकबा 0.06 459 रकबा 0.11	615 वर्गफिट 360 वफि0 कुल 975 वर्गफिट
06	कल्याणी पि धूल्या	455 रकबा 0.19	175 वर्गफिट
07	बद्रीलाल पुत्र औंकारलाल	427 रकबा 5.00	1350 वफि0
08	चम्पालाल पुत्र देवीलाल जाति लोधा निवासी झिरी	456 रकबा ... 457 रकबा...	975 वफि0 310 वफि0 कुल 1285 वफि0
09	मांगीबाई पि0 परमानन्द जाति लोधा नि0 झिरी	448 रकबा 2.01 460 रकबा 1.02	825 व वफि0 1350 वफि0 कुल2175 वफि0
10	मथुरालाल पि0 घीसालाल जाति लोधा नि0 झिरी	453 रकबा 1.06	940 वर्गफिट
11	राधाकिशन पुत्र भंवरलाल जाति लोधा नि0 झिरी	455 रकबा 0.19	370 वर्गफिट
12	बीरम पुत्र कालू जाति लोधा नि0 झिरी	427 रकबा 5.20	1350 वर्गफिट
13	परमानन्द पुत्र औंकारलाल जाति लोधा नि0 झिरी	427 रकबा 5.00	1350 वर्गफिट
14	कंवरलाल पुत्र लक्खा जाति लोधा नि0 झिरी	456 रकबा ... 457 रकबा...	975 वर्गफिट 310 वफि0 कुल 1285 वफि0

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

04. तालिका में कम संख्या 1 लगायत 14 ने हल्फिया बयान दर्ज कराया है कि उपरोक्त तालिका का कॉलम संख्या 3 में वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी उनके नाम खाते में दर्ज है जिसमें वादी/प्रार्थी शिवनारायण पुत्र मांगीलाल ने ग्राम झिरी के स्वयं के खाते की खसरा नं0 475 की 5.04 बीघा व ख0 नं0 468 की 1.07 बीघा आराजी में आने जाने के लिए नया रास्ता कायम करने हेतु धारा 251ए आरटीएक्ट के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें रास्ते के लिए प्रस्तावित आराजी में कॉलम संख्या 04 में उल्लेखित भूमि आ रही है, तालिका के कॉलम संख्या 01 में वर्णित सभी अप्रार्थीगणों ने अपने खाते की आराजी में से चाही गई भूमि अपनी इच्छा से समर्पित करने करने की बात स्वीकार की है और साथ में उसके बदले कोई राशि नहीं चाहने और कोई प्रतिफल लिए बगैर रास्ते के लिए देने बाबत उल्लेखित किया है। भविष्य में तालिका के कॉलम संख्या 1 में वर्णित मुझे व मेरे वारिसान को उक्त आराजी के संदर्भ में कोई एतराज नहीं रहेगा का स्पष्ट अंकन किया है।

05. इस प्रकरण में लागू विधिक प्रावधान का परीक्षण करना समीचीन है। धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का शीर्षक एवं प्रावधान निम्नानुसार है :—

अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना — जहाँ कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोत तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है —और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जाँच पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि —

(1) यह आत्यन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है — तो आदेश द्वारा, आवेदक को लघुत्तम या निकटतम रूप से होकर एक नया मार्ग, जो 30 फीट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने का अधिकार मंजूर किया जाए।

इस प्रकार धारा 251—क के अंतर्गत रास्ता प्रदान किए जाने हेतु तीन मूलभूत शर्तें हैं —

(अ) आवेदक "अभिधारी" अर्थात् खातेदार होना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(ब) रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता हो, केवल सुविधा के लिए न हो और

(स) कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो ।

06. वकील उभयपक्षकारान बहस सुनी गई जिसमें वकील अप्रार्थी संख्या 12 ने अपनी बहस में अप्रार्थी के खाते की आराजी जो कि प्रार्थी की आराजी तक जाने के नवीन रास्ते आ रही का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानानुसार प्रतिफल दिलवाये जाने बाबत बात कही है। बहस वकील उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय प्रार्थी अभिधारी की ग्राम झिरी स्थित आराजी ख0 नं0 168 एवं 475 तक जाने हेतु रास्ता में आये अप्रार्थीगण के खसरा नंम्बरान की आराजी की डीएलसी दर अनुसार भूमि की कीमत संबंधी रिपोर्ट दिनांक 12.06.2025 का भी अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस वकील उभयपक्षकारान तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के अध्ययन से यह प्रकाश में आया है कि:–

01. प्रार्थी अभिधारी जिस आराजी हेतु रास्ता कायम करवाया चाहता है का खातेदार है ।

02. तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 12.06.2025 अनुसार आराजी

तक जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

03. चाहे गए मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता है जो की सुखाचार का साधन है ना कि सुविधा का।

07. धारा 251–क का विधायी उद्देश्य एवं प्रयोजन कृषि जोतों तक आवागमन सुनिश्चित करना है। यह धारा इसलिए अधिनियमित की गई थी ताकि कोई खातेदार अपनी कृषि भूमि की जुताई, सिंचाई एवं उपभोग हेतु पहुँच से वंचित न हो। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का उद्देश्य अपनी खातेदारी की आराजी ग्राम झिरी की खसरा नं0 168 व 475 तक जाने रास्ता प्राप्त करना है जो कि धारा 251–क में वर्णित जोत की परिभाषा में आता है। अतः यह दावा धारा 251–क के मूल प्रयोजन के लिए सार्थक साबित होता है एवं वाद/प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

08. उपरोक्त विवेचनानुसार वाद/प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है प्रार्थी की ग्राम झिरी की आराजी ख0 नं0 168, 475 तक आवागमन,

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

कृषि कार्य एवं कृषि यंत्र ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी के ख0 नं0 424, 425, 426, 427, 448, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, और 466 से होकर प्रार्थी द्वारा अपेक्षित एवं रिपोर्ट तहसीलदार म0 थाना में प्रस्तावित मार्ग जो की लघुतम/निकटतम एवं न्यूनतम भूमि उपयोग के साथ अत्यन्त आवश्यक प्रवृत्ति का है प्रदान किया जाता है। निर्णय के मद संख्या 03 में वर्णित तालिका के कॉलम संख्या 01 में अंकित अप्रार्थीगण के हल्फिया बयानानुसार उन्हे किसी भी तरह का प्रतिफल अदा किये जाने बाबत यह न्यायालय प्रार्थी को बाध्य किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। शेष अप्रार्थीगण को वर्तमान डीएलसी दर की दुगनी राशि का मूल्यांकन तहसीलदार द्वारा करवाया जाए एवं उक्त राशि प्रार्थी द्वारा जमाराज करवाई जाकर योग्य अप्रार्थीगण को अदा करवाई जाए। अप्रार्थीगण की ख0 नम्बरान की आराजी जिसमें ग्राम झिरी के ख0 नं0 168 व 475 तक जाने में रिपोर्ट पटवारी पटवार मण्डल मनपसर द्वारा प्रस्तावित मार्ग का नक्शा लट्ठा एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि योग्य अप्रार्थी उक्त राशि को लेने से मना करते है तो राशि बतौर अमानत नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाए। दोनों पक्ष अपना – अपना खर्चा वहन करेंगें। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील मनोहरथाना को पालनार्थ प्रेषित किया जावें । पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर नम्बर से कम कर बाद तामिल तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांकः 06.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना